325/21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
25/8/22	...आज पेश हुई। S.D.O. ... अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 6/9/22 को पेश हो।
06.09.22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि विगत 07 माह का समय व्यतीत होने के उपरांत भी आदिनांक तक नोटिस पेश नहीं किए गए है जो कि पर्याप्ततम अवसर दिए जा चुके है। न्यायहित मे एक अन्तिमतम अवसर दिया जाता है, आगे अवसर देय नहीं होगा। पत्रावली वास्ते- तलबी दिनांक 08.09.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बालोतरा
8/9/22	प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित। पत्रावली विगत 07 माह से भी अधिक समय से तलबी में विचाराधीन चल रही है और पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी आदिनांक तक नोटिस पेश नहीं किए जा रहे हैं। और गत पेशी तारीख पर भी अन्तिमतम: अवसर दिया था लेकिन नोटिस पेश नहीं किए जा रहे है। ऐसी सूरत में आगे और अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र नोटिस पेश नहीं [illegible] इसी स्टेज पर खारिज किया जाता [illegible]। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] दफ्तर हो। (नरेश सोनी) उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:06:57 IST
Reason: SelfAttested